संख्याः ५५ /XXVii(7)27(3)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून: दिनॉक: 3। जनवरी, 2014

विषयः– प्रदेश के राजकीय वाहन चालक सेवा–संवर्ग के पुर्नगठन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–588/XXVii(7)27(3)/2013 दिनांक 01 जुलाई 2013 द्वारा कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य की गयी थी। शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के वाहन चालकों के सेवा–संवर्ग को 05 ग्रेडों में विभाजित संबंधी लागू व्यवस्था के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् संशोधित रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है।

2– वाहन चालकों को 04 श्रेणियों में सीधी भर्ती के पद ग्रेड वेतन रू0 1900 से क्रमशः 09 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 2400, 15 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 2800, 18 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 4200 एवं 20 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– पदोन्नति की स्थिति में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–12 में पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

4– उपरोक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या ५५५ (1)/XXVII(7)27(3)/2013 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल०एन०पन्त)

अपर सचिव।